<u>न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी</u>

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 71/2019 ई.रे.

1– लक्ष्मी बाई बेवा बंशीदास वैरागी निवासी नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी
2– रेखा पुत्री बंशीदास वैरागी निवासी नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी

—–**वादीगण**

बनाम

1– मांगीलाल पिता नानुराम वैरागी निवासी नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी
2– पुष्कर पिता हीरादास ना.बा.स.माता श्रीमति शंकरी बाई वैरागी निवासी नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी
3– शान्तिदास पिता हीरादास ना.बा.स.माता श्रीमति शंकरी बाई वैरागी निवासी नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी
4– मेना पिता हीरादास ना.बा.स.माता श्रीमति शंकरी बाई वैरागी निवासी नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी
5– कौशल्या पिता हीरादास ना.बा.स.माता श्रीमति शंकरी बाई वैरागी निवासी नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी
6– शंकरी बाई पत्नि हीरादास वैरागी निवासी नरसिंहपुरा
7– काली बाई पुत्री नारायणदास पत्नि मोहनदास वैरागी निवासी सोमपुर
8– सरजू बाई पुत्री नारायणदास पत्नि बंशीदास वैरागी निवासी महुडा
9– भगवानदास पिता गोटुदास वैष्णव निवासी नरसिंहपुरा
10– बदामी बाई पत्नि कालू गुरू नि. उतरवाडा
11– मगनीराम पिता उंकार लाल ब्राहम्ण निवासी उतरवाडा
12– भेरूलाल पिता तुलसीराम ब्राहम्ण निवासी उतरवाडा
13– तहसीलदार बडीसादडी

–**प्रतिवादीगण**

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट</u>

// निर्णय // **दिनांक :– 28/10/2025**

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा उतरवाडा, तहसील बडीसादडी में आराजी खाता संख्या 75 की आराजी नम्बर 22 रकबा 1 बिघा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 23 रकबा 1 बिघा 13 बिस्वा आराजी नम्बर 143 रकबा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 144/1 रकबा 7 बिघा आराजी नम्बर 144/2 रकबा 16 बिस्वा आराजी नम्बर 145 रकबा 16 बिस्वा आराजी नम्बर 146 रकबा 14 बिस्वा आराजी 147 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा आराजी नम्बर 204 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा आराजी नम्बर 206 रकबा 3 बिघा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 207 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा कुल किता 1[illegible] कुल रकबा 20 बिघा 11 बिस्वा स्थित जिसके वर्तमान खाता संख्या 21 की आराजी नम्बर 158 रकबा 0.1700 है आराजी नम्बर 161 रकबा 0.1500 है आराजी नम्बर 162 रकबा 0.4900 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.8100 है लगानी 26.13 रूपया खाता संख्या 22 की आराजी नम्बर 159 रकबा 1.0400 है लगानी 19.76 रूपया खाता संख्या 19 की आराजी नम्बर 238 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:48:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

2600 है लगानी 0.78 रूपया, खाता संख्या 20 की आराजी नम्बर 157 रकबा 0.0200 है आराजी नम्बर 160 रकबा 0.0900 है आराजी नम्बर 1.63 रकबा 0.500 है आराजी नम्बर 168 रकबा 0.0400 है कुल किता 4 कुल रकबा 0.2000 है लगानी 1.79 रूपया खाता संख्या 151 की आराजी नम्बर 235 रकबा 0.3400 है लगानी 2.72 रूपया खाता संख्ता 92 की आराजी नम्बर 23 रकबा 0.2700 है आराजी नम्बर 24 रकबा 0.3600 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.6300 है लगानी 10.08 रूपया खाता संख्या 105 की आराजी नम्बर 237 रकबा 0.6700 हैक्ट. स्थित है । उक्त वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पति की होकर प्रभु नारायण गोटु शंकर व नानुराम पिता शंकर के खातेदारी की थी प्रभुलाल लाऔलाद फोत हो चुका है जिससे उक्त आराजी नारायण गोटु शंकर व नानुराम के 1/4 हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई नारायण की मृत्यु हो चुकी है इसके वारिस इनकी पुत्रीयां काली बाई व सरजु बाई प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 है जो नारायण के 1/4 हिस्से पर काबिज है गोटु की की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस उसके पुत्र भगवान लाल व बेवा शंकरी बाई हुये शंकरी बाई की मृत्यु हो चुकी है इसलिये गोटु के 1/4 हिस्से पर भगवान लाल काबिज है शंकर लाल की भी मृत्यु हो चुकी है शंकर लाल ने अपने 1/4 हिस्से मे से कुछ आराजीयात विक्रय कर दी तथा शेष आराजी खाता संख्या 20 की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम पर दर्ज हुई नानुराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 6 है जो नानुराम के 1/4 हिस्से का काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन नानुराम की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण खोलते समय वादीगण के पिता व पति बंशीदास का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ बंशीदास की मृत्यु हो चुकी है वादीगण मृतक बंशीदास के वारिस है तथा नानुराम के 1/4 में से 1/3 हिस्सा याने 1/12 हिस्सा वादीगण अपनी खातेदारी में घोषणा कराने के अधिकारी है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने के अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में नानुराम का 1/4 हिस्सा है तथा नानुराम के 3 पुत्र बंशीदास मांगीलाल व हीरादास है जिनका प्रत्येक का 1/12 हक हिस्सा है इसलिये खाता संख्या 20 , 21 में वादीगण का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का संयुक्त 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का शामलाती 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादी 9 का 1/3 हिस्सा खाता संख्या 22 में वादीगण का 1/12 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/12 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 से 6 का 1/12 हक हिस्सा शेष हिस्सा अन्य खातेदारान का यथावत रखा जावें खाता संख्या 19 की आराजी में वादीगण का शामलाती 1/12 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 से 6 का शामलाती 1/12 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 का शामलाती 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 9 का 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 11 का 1/4 हक हिस्सा खाता संख्या 105 में वादीगण का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का संयुक्त 1/12 हक हिस्सा शेष हिस्सा यथावत रखा जावें खाता संख्या 151 में वादीगण संख्या 12 के रखा जावें खाता संख्या 92 में वादीगण का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का संयुक्त 1/12 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 शामलाती 1/12 हक हिस्सा शेष हिस्सा यथावत रखा जावें। इसी हक हिस्से अनुसार आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में घोषित कि जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराई जावें। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पति की होकर मगनीराम जी के समय से चली आ रही है तथा मगनीराम का पुत्र नानुराम व नानुराम का पुत्र बंशीदास हुआ ओर बंशीदास के वारिस वादीगण है जो बंशीदास के हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने का प्रतिवादीगण ... फायदा उठाकर आराजीयात को रहन, बय, वक्षीश कर हस्तान्तरित करने कर आमादा है इसलिये ... विवाद... को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करे न ... तथा वादीगण को अपने हक हिस्से की आराजीयात का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:48:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद निम्नानुसार डिकी फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
पड़ीसादड़ी

(क) कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित अनुसार वादीगण खातेदारी में घाषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराई जावें।
(ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावें की वे वादीया के कब्जे काश्त में जबरन दखलअंदाजी नही करे न करावे तथा आराजीयात का खुर्द बुर्द नही करे न करावें। दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जे काश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने में सफल हो जावे तो कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावें।
प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी नं. 1, 6, 8, 9 की ओर से जे.पी. वैष्णव वकील ने पावर पेश किया । शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.01.2025 को वकील प्रतिवादी को जवाब के कई अवसर दिये जाने से जवाब बंद किया गया । और पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 8.04.2025 में वकील प्रतिवादी द्वारा no instruction किया गया। साक्ष्यवादी में लक्ष्मीबाई व रेखा के शपथ पत्र पेश हुये जिस पर उनके बयान लेखबद्ध किये गये। सत्यनारायण का शपथ पत्र पेश किया गया।

वकील वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा उत्तरवाड़ा पटवार हल्का महुड़ा की आराजी नं. 157, 160, 163, 168 कुल किता 4 रकबा 0.2000 हैक्ट. तथा आराजी नं. 158, 161, 162 कुल किता 3 रकबा 0.8100 हैक्ट. में वादीगण का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का संयुक्त 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का शामलाती 1/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/3 हक हिस्सा तथा आराजी नं. 159 रकबा 1.0400 हैक्ट. में वादीगण का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/12 हक हिस्सा शेष हिस्सा अन्य खातेदारान का यथावत रखा जावे। तथा आराजी नं. 238 रकबा 0.2600 हैक्ट. में वादीगण का शामलाती 1/12 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/12 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का शामलाती 1/12 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का शामलाती 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 हक हिस्सा तथा आराजी नं. 237 रकबा 0.6700 हैक्ट. में वादीगण का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का संयुक्त 1/12 हक हिस्सा शेष हिस्सा यथावत रखा जावे। तथा आराजी नं. 235 रकबा 0.3400 हैक्ट. में वादीगण का 1/12 हिस्सा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का व प्रतिवादी संख्या 12 के रखा जावे। तथा आराजी नं. 23, 24 कुल किता 2 रकबा 0.6300 हैक्ट. में वादीगण का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का संयुक्त 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का शामलाती 1/12 हक हिस्सा शेष हिस्सा यथावत रखा जावे। इसी हक हिस्से अनुसार आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में घोषित की जाती है। धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद वकील वादी साबित करने में असफल रहा है। इसलिय धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद खारिज की जाती है।
इसी अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।
निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 10:48:08 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी